न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./2005/167/हनुमानगढ़.

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– रामगोपाल) पुत्रान बृजलाल जाति जाट निवासी ग्राम
2– रामकुमार) भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितिः
श्री सुनील पारिक, विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री अमृतपाल सिंह वानर, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

निर्णय

दिनांकः– 22/04/2025.

1– हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अपील संख्या 170/2003 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–6–2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी वादीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष एक राजस्व वाद इस आशय का पेश किया कि वादीगण के पिता बृजलाल पुत्र गुगन विवादित भूमि चक नंबर 6 बारानी में 50 वर्ष से अधिक समय से मु0 नं0 30 के किला नंबर 12 से 15 की 4 बीघा भूमि यानि 1.02 हैक्टेयर को अपने जीवन पर्यन्त तक

काश्त करते रहे हैं एवं राज्य सरकार को लगान अदा करते रहे एवं बृजलाल के देहान्त के बाद वादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। उक्त विवादित भूमि वादीगण की खातेदारी में दर्ज हानी चाहिए, किन्तु गैर खातेदारी में विवादित भूमि दर्ज है। वादीगण ने विवादित भूमि को खातेदारी में दर्ज कराने हेतु जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ को नोटिस भी दिया, लेकिन खातेदारी दर्ज नहीं की गई, इसलिए यह दावा पेश किया गया।

विचारण न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी पक्ष की तलबी जारी किये जाने पर प्रतिवादी पक्ष की ओर से राजकीय पैराकार भादरा ने जवाब पेश किया। विचारण न्यायालय ने हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु तीन तनकियात बनाई तथा उन पर अपना मत अभिव्यक्त करते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–02–2003 द्वारा वाद वादीगण डिक्री किया जाकर चक 6 बारानी के मु0नं0 30 के किला नंबर 12 से 15 की 4 बीघा यानि 1.02 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित कर दिया तथा उक्त भूमि गैर खातेदारी के स्थान पर उनके नाम से खातेदारी दर्ज करने का आदेश पारित किया।

उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–02–2003 से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्थान सरकार ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिन्होंने उभय पक्षों की सुनवाई कर अपने निर्णय एव डिक्री दिनांक 14–6–2004 द्वारा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज कर दी।

यह कि अपीलार्थी राज्य सरकार द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–02–2003 एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–6–2004 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपील–मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक क्रमशः 14–6–2004 तथा 04–02–2003 न्याय, नियम एवं

रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही रूप से विश्लेषण एवं विवेचन नहीं कर मनमाने रूप से निर्णय पारित किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय आदेश 41 नियम 31 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के विपरीत है। बृजलाल के पक्ष में जो आदेश (प्रदर्श–9) पारित किया गया है, वह आवंटन नियमों के तहत पारित किया गया था इसलिए जो भी अधिकार विवादित भूमि पर प्राप्त होते हैं, वे आवंटन नियमों के तहत ही प्राप्त किये जा सकते हैं, ना कि वाद के द्वारा। उनका यह भी कथन रहा कि राजस्व वाद के अन्तर्गत तब ही किसी को खातेदारी अधिकार दिये जो सकते है जब उसका कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रभाव में आने से पूर्व बहैसियत भूमि पर हो। प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थीगण/वादीगण का कब्जा संवत 2012 से सिद्ध नहीं था, इस कारण उन्हें खातेदारी अधिकारी प्रदान नहीं किये जा सकते, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों ने उन्हें खातेदारी अधिकार दिये जाने की घोषणा की है। तनकी सं0 1 सही रूप से निर्णित नहीं कर प्रदर्श–9 के आधार पर दावा डिक्री किया है, जबकि प्रदर्श–9 वाद का आधार ही नहीं है। प्रत्यर्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिसके आधार पर उनका वादग्रस्त भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा काश्त सिद्ध हो। मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावा डिक्री किये जाने में विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। वादी कृषक के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना बताता है, वही दूसरी ओर मुखालफाना कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होना मान रहा है। दोनों ही तथ्य आपस में विरोधाभासी हैं। इस कारण विचारण न्यायालय ने तनकी सं0 1 व 2 का निर्णय प्रत्यर्थीगण/वादीगण के पक्ष में करने में विधिक त्रुटि की है तथा योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पुष्टि करने में गंभीर त्रुटि कारित की है। अतः हस्तगत अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14–6–2004 तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भादरा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–02–2003 अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर पिछले 50 वर्षो से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में नहीं थी बल्कि आउट ऑफ जोन थी, जो आवंटन नियम 1970 के तहत वादीगण को आंवटित नहीं हुई थी। आवंटन नियम, 1970 के अन्तर्गत आंवटित भूमि के गैर खातेदारी अधिकार में दर्ज भूमि के खातेदारी अधिकार 10 वर्ष में प्राप्त किये जाने का प्रावधान है। वादीगण को भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत् खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि गैर खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी रिकार्ड को मध्य नजर रखते हुए वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना पाया है। विचारण न्यायालय ने तनकीवार विवेचन करते हुए वाद वादीगण डिक्री किया है जिसकी अपीलीय न्यायालय ने भी पुष्टि की है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समान निष्कर्ष पर आधारित है तथा समवर्ती निर्णयों में इस द्वितीय अपील के जरिये हस्तक्षेप किया जाना कतई उचित नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

5– उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी वादीगण द्वारा विरूद्ध अपीलार्थी प्रतिवादी राज्य सरकार के विवादित भूमि चक नं. 6 मु.नं. 30 के किला नं. 12 से 15 की 04 बीघा यानि 1.012 है0 भूमि की खातेदारी घोषणा के संबंध में राजस्व वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष पेश किया, जिसका अपीलार्थी प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश कर वादपत्र खारिज करने की प्रार्थना की गई। योग्य विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु अनुतोष सहित कुल तीन विवाद्यक विरचित किये गये, जिन पर वादी पक्ष की ओर से गवाह पी.डब्ल्यू. रामगोपाल, पी.डब्ल्यू. 2 रामकिशन की मौखिक साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श–9 पेश कर प्रदर्शित करवाई गई। प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। योग्य विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04–02–2003 द्वारा विवाद्यक संख्या–1 व 2 को वादीगण के पक्ष में

साबित होना मानते हुए वादीगण को विवादित भूमि का खातेदार घोषित करते हुए उसके पक्ष में डिक्री जारी कर दी गई। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 04–02–2003 के विरूद्ध अपीलार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत् रखे जाने का आदेश पारित किया गया है।

6– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत् 2057 एवं प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत् 2049 के अनुसार विवादित खसरा संख्या 12 से 15 रकबा 1.012 है0 मु0 मनी बेवा ब्रजलाल, रामगोपाल रामकुमार पि0 ब्रजलाल कौम जाट सा0 गैर खातेदार दर्ज होना अंकित है। प्रत्यर्थीगण वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के पद संख्या–3 व 4 में उक्त विवादित भूमि पर गत 50 वर्षों से काबिज होने तथा राजस्व अभिलेख में उनकी खातेदारी दर्ज करने के स्थान पर भूलवश गैर खातेदारी दर्ज होना अभिकथित किया है तथा यह भी अभिकथित किया है कि वह मियाद के प्रभाव से विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार अर्जित कर चुके हैं। हालांकि अपीलार्थी प्रतिवादी राज्य सरकार द्वारा उक्त वादपत्र के अभिवचनों का विरोध भी किया गया, किन्तु योग्य विचारण न्यायालय द्वारा उक्त अभिवचनों के संबंध में विवाद्यक विरचित नहीं करते हुए उनका पुराना कब्जा काश्त होने से कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादीगण के पक्ष में खातेदारी घोषणा करवाये जाने बाबत् विवाद्यक विरचित किये गये है तथा योग्य विचारण न्यायालय द्वारा विरचित किये गये इन्हीं विवाद्यकों पर ही अपना विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए कब्जा मुखालफाना के आधार पर अपना निर्णय व डिक्री पारित किया है तथा इसकी पुष्टि करते हुए योग्य प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी मियाद एवं कब्जा मुखालफाना के आधार पर ही अपीलार्थी प्रतिवादी की अपील को खारिज किया है, जबकि प्रत्यर्थीगण वादीगण राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि के गैर खातेदार अंकित होना प्रकट होता है, किन्तु दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में इस संबंध में कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किये है। विधि का यह सुस्थापित

सिद्धांत है कि प्रकरण में विवाद्यक पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर विरचित किये जाने चाहिये। हस्तगत प्रकरण में वादी प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने मूल वाद में इस आशय के स्पष्ट अभिवचन किये गये है कि वह विवादित भूमि का गैर खातेदार दर्ज रहा है तथा वह मियाद के प्रभाव से विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार अर्जित कर चुके है, इसलिये उनके पक्ष में राजस्व अभिलेख में गैर खातेदारी से खातेदार दर्ज करने की घोषणा की जाये, किन्तु इस संबंध में योग्य विचारण न्यायालय द्वारा कोई विवाद्यक ही विरचित नहीं किया गया, जिसके अभाव में उक्त महत्वपूर्ण बिन्दु के संबंध में कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया जा सका, जबकि योग्य विचारण न्यायालय से यह अपेक्षित था कि वह उक्त महत्वपूर्ण विवाद बिन्दु पर विवाद्यक विरचित करते तथा साक्ष्य आने के उपरांत इस पर अपना विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित करते, जिसका अभाव योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में होने से यह विधिनुरूप एवं विधि सम्मत निर्णय प्रतीत नहीं होता है।

7– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए योग्य विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मुख्य विवाद बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–02–2003 पारित करने में तथा योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 14–06–2004 के माध्यम से योग्य विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–02–2003 की पुष्टि करने में विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–02–2003 एवं 14–06–2004 को अपास्त किया जाकर पत्रावली पुनः योग्य विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8– अतः उपर्युक्त विवेचनानुसर हस्तगत् द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–02–2003 एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14–06–2004 अपास्त किये जाते है तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा को पत्रावली प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि

उपरोक्त विवेचनानुसार वादपत्र की पद संख्या–3 व 4 में दिये गये अभिवचनों पर पृथक से विवाद्यक विरचित करते हुए उभय पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बहस सुनकर पुनः तनकीवार निर्णय पारित करें।

उभय पक्षों को हिदायत दी जाती है कि वे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष प्रकरण में वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 19–05–2025 को उपस्थित हो।

इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। निर्णय की सूचना अभिभाषक उभय पक्ष की दी जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर की जाये।

यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य